

डिक्री ब मुकदमें इब्तादाई  
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)  
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर सेड़वा मुकाम सेड़वा जिला बाड़मेर  
व इजलास श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामा 2. भगवाना 3. पीरा 4. वाला 5. पता 6. देवा 7. अचला पि. खेताराम जातियान सुथार निवासी पींगलपुरा तहसील सेड़वा/धनाऊ जिला बाड़मेर।		1. जगमाल 2. हीरा 3. सोना 4. मगा पि. भीखा जातियान सुथार निवासी पींगलपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 5. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ।

मुकदमा नम्बर : 56/2018

दावा बाबत : राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act

रामा वगौरा बनाम जगमाल वगौरा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू-ब-रू पक्षकारान व हाजरी उपस्थित मिनजानिव मुदई वादी वकील फताराम गोदारा उपस्थित मनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 09.04.2021 को प्रस्तुत किया गया। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री निम्न प्रकार की जाती है।

क्र. सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगा न	बरंग
1	रामाराम भगवानाराम पीराराम वालाराम पताराम देवाराम 984/1292 अचलाराम पि. खेताराम जाति सुथार सा0 पींगलपुरा 308/1292	पींगलपुरा	183	64.12	बारानी सोयम	3.23	हरा
2	जगमाल, सोना हीरा मगा पि. भीखाराम जाति सुथार निवासी पींगलपुरा खातेदार	पींगलपुरा	183	33.16	बा.सो	1.69	गुलाबी

तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव की पालना अनुरूप विभाजन की अन्तिम डिक्री नक्शे मे अलग-अलग रंग दर्शाये अनुसार जारी की जाती है। उपरोक्तानुसार खातेदार के हिस्से की आराजी का नक्शा लट्टा में तरमीम करने एवम् पृथक पृथक खातेदार में दर्ज करने हेतु तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ को तहरीर जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज दिनांक 03.06.2022 को जारी की



(रामजी भाई कलबी)  
सहायक कलक्टर  
Seodwa

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1 वाद के लिए स्टाम्प		शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शाक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 ..... रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यह		आदेशिका की तामिल	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			



*(Signature)*  
 सहायक कलक्टर  
 SDO सोडवा

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा  
( पीठासीन अधिकारी : श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस. )

फाइल नम्बर :- 56/2018


दावा बाबत :- राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामा 2. भगवाना 3. पीरा 4. वाला 5. पता 6. देवा 7. अचला पि. खेताराम जातियान सुथार निवासी पींगलपुरा तहसील सेड़वा/धनाऊ जिला बाड़मेर।		1. जगमाल 2. हीरा 3. सोना 4. मगा पि. भीखा जातियान सुथार निवासी पींगलपुरा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 5. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ।

अधिवक्तागण - वादीगण वकील - श्री फताराम गोदारा  
-:निर्णय :-

दिनांक 03.06.2022

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा दिनांक 01.03.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी जिसकी पालना में तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ के पत्रांक/भूअ./2021/1875 दिनांक 09.04.2021 द्वारा मौजा पींगलपुरा पटवार क्षेत्र बामणौर तहसील सेड़वा/धनाऊ में खेत खसरा संख्या 424/116 रकबा 63.04 बीघा का विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। वादी वकील उप0। वादी वकील ने तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनने का निवेदन किया गया। वादी वकील की बहस सुनी गई। तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार ग्राम पींगलपुरा के खसरा संख्या 183 रकबा 98.08 बीघा किस्म बा.सो. भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु मौजा पींगलपुरा के मौके पर पहुंचा। मौके पर पूर्व सूचना (जरिये नोटिस इतला देने से) अनुसार वादी रामाराम वगैरा बनाम प्रतिवादी जगमाल वैरा मय मौतबिरान उपस्थित मिले। उपर्युक्त खाते का विभाजन माफिक वादीगण संख्या 1 से 6 का संयुक्त रूप से 1/2 हिस्सा व वादी संख्या 7 का 5/32 हिस्सा घोषित करने से वादी संख्या 1 से 7 तक का संयुक्त रूप से 21/32 हिस्सा की भूमि मौके पर कब्जा काशत अनुसार "बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड" विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु वादी व प्रतिवादीगण को साथ रखकर मौका देखा गया। प्रतिवादी संख्या 2 हीरा पुत्र भीखा करीब 10-12 वर्ष से गांव छोड़कर किसी गुमनाम जगह चला गया है लिहाजा हीरा कुंवारा होने से उसके सगे भाईयों



*Shubh*  
न्यायालय सहायक कलक्टर  
500 सेड़वा

वादीगण 1. जगमाल पुत्र भीखा 2. सोना पुत्र भीखा 3. मगा पुत्र भीखा तथा  
वादीगण संख्या 1 से 7 (रामा वगैरा) द्वारा अपने अपने कब्जे एवं काश्त अनुसार  
आपसी सहमति से मौके पर काबिज अनुसार अपने खेत का विभाजन निम्नानुसार  
करवाना चाहते हैं जो इस प्रकार है—

क. सं.	नाम खातेदारान	ग्राम	ख. नं.	रकबा	किस्म	लगा न	वरंग
1	रामाराम भगवानाराम पीराराम वालाराम पताराम देवाराम 984/1292 अचलाराम पि. खेताराम जाति सुथार सा0 पींगलपुरा 308/1292	पींगलपुरा	183	64.12	बारानी सोयम	3.23	हरा
2	जगमाल, सोना हीरा मगा पि. भीखाराम जाति सुथार निवासी पींगलपुरा खातेदार	पींगलपुरा	183	33.16	बा.सो	1.69	गुलाबी

तहसीलदार सेड़वा/धनाऊ को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद  
एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार  
सेड़वा/धनाऊ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 09.04.2021 निर्णय का अभिन्न अंग  
रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करे।  
पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2022 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया



(रामजी भाई कलबी)  
सहायक कलेक्टर  
SDO सेड़वा